W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टीए / 902 / 2009 / चित्तौडगढ

1— मु0 चांदी पत्नि केला अहीर निवासी पुरोहितों का सांवता तहसील व जिला चित्तौडगढ।

2— मु0 नंदु पुत्री केला अहीर पत्नि नारायणलाल अहीर निवासी पुरोहितों का सांवता तहसील व जिला चित्तौडगढ हाल निवासी ग्राम जडाना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

3— मु0 नारायणी पुत्री केला अहीर पत्नि कालू अहीर निवासी पुरोहितों का सांवता तहसील व जिला चित्तौडगढ।

4— मु0 सुन्दर पुत्री किशनलाल अहीर निवासी पुरोहितों का सांवता तहसील व जिला चित्तौडगढ हाल निवासी ग्राम सेमलिया तहसील व जिला चित्तौडगढ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— उदयराम पुत्र खेमा अहीर निवासी पुरोहितों का सांवता तहसील व जिला चित्तौडगढ।

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

श्री एल0 डी0 यादव, सदस्य

उपस्थितः—

श्री जी.एस.लखावत एवं श्री अशोकनाथ, अभिभाषकगण अपीलार्थीगण।

श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या—1।

निर्णय

दिनांकः— 12 / 09 / 2013

1— यह द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 72 / 08 में पारित निर्णय दिनांक 17—11—2008 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में ''अधिनियम, 1955'') की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी उदयराम ने एक राजस्व वाद अधिनियम, 1955

की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ (विचारण न्यायालय) के समक्ष इन अभिवचनों के साथ पेश किया कि ग्राम पुरोहितों का सांवता में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 408, 413, 508/1, 607/1, 609, 611, 767, 1024, 1025/1, 1026/1 कुल किता 10 रकबा 4.73 हैक्टयर पर वादी काबिज–काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि मूल खातेदार स्व. केला की थी, जो प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्यां–1 चांदी का पति एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता है। उक्त केला के पुत्र संतान नहीं होने के कारण उसने अपने जीवनकाल में वादी उदयराम के पक्ष में दिनांक 19–02–2003 को वसीयतनामा निष्पादित कराकर उसे नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया था। केला का दिनांक 08–10–2003 को देहांत हो चुका है इसलिये वादी वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विरासत के आधार पर गलत नामान्तरकरण अपने हक में खुलवा लिया है, जिसकी आड में प्रतिवादीगण विवादित आराजी को अन्तरित करने पर आमदा हैं। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण/अपलार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने का अनुतोष चाहा गया।

3– प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण ने वाद के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये अपना विस्तृत जवाबदावा मय प्रतिवाद (counter claim) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व. केला की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि विरासतन उसकी पत्नि एवं पुत्रियों के नाम विधिवत तौर पर दर्ज की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा फर्जी व कूटरचित है। प्रतिवादीगण महिलाये हैं एवं उनकी खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को हडपने की नियत से वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वाद को निरस्त करते हुये प्रतिवादीगण का प्रतिवाद (counter claim) स्वीकार कर वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने का अनुतोष चाहा गया।

4– परीक्षण न्यायालय ने वाद एवं जवाबदावा मय प्रतिवाद (counter claim) के आधार पर विवाद्यक विरचित कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुये अपने निर्णय दिनांक 31–03–2008 द्वारा वादी/प्रत्यर्थी उदयराम का वाद खारिज कर दिया और प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण का प्रतिवाद (counter claim) स्वीकार कर वादी/प्रत्यर्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2008 के विरूद्ध वादी/प्रत्यर्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

5— दौराने अपील वादी/प्रत्यर्थी ने दिनांक 07—11—2008 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर उसके संलग्न शपथ पत्रों को वसीयत के गवाहान—दीपचन्द व नानूराम के शपथपत्र बताते हुये उन्हें अभिलेख पर लेने का निवेदन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ (प्रथम अपीलीय न्यायालय) ने अपने निर्णय दिनांक 17—11—2008 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31—03—2008 निरस्त कर दिया तथा शपथकर्ताओं से जिरह करने व नवीनतः निर्णय पारित करने के लिये प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17—11—2008 से व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल में मुख्यतः इस आधार पर पेश की गई है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, तथ्यों एवं साक्ष्य का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात विवाद्यकवार निर्णय पारित किया है, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने वादी प्रत्यर्थी के आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये मात्र दो गवाहान से जिरह करने की आवश्यकता को आधार बनाते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्म्त निर्णय को निरस्त कर दिया जबकि पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद वादी द्वारा स्वयं के बयान कराने के अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी थी। वादी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार नहीं होते हुये भी उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत डिक्री को निरस्त करने में भारी त्रुटि की गई है। अतः इस द्वितीय अपील के माध्यम से अपीलार्थीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 17—11—2008 निरस्त किया जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31—03—2008 बहाल किया जावे।

6— उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

7— अपीलार्थी पक्ष की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री जी. एस. लखावत ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मौखिक बहस में अभिकथन किया किः—

(1) विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करके विवाद्यकवार निष्कर्ष अंकित

करके विधिसम्मत निर्णय पारित किया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय को विवाद्यकवार साक्ष्य का विश्लेषण कर निर्णय पारित करना चाहिये था, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार के विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया, जो कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विपरीत पारित निर्णय होने से निरस्तनीय है।

(2) कि वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत ग्रहण किये जाने योग्य अतिरिक्त साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर शपथग्रहिता कथित वसीयत के सत्यापन साक्षी (attesting witnesses) हैं तो विचारण न्यायालय द्वारा समुचित अवसर देने के बावजूद वादी द्वारा उक्त गवाहान को विचारण न्यायालय में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? इसका कोई स्वीकार्य कारण वादी द्वारा उक्त आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थनापत्र में कोई स्वीकार्य कारण अंकित नहीं किया है।

(3) कि वादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र भी कूटरचित व फर्जी हैं क्यों कि उक्त दोनों ही शपथग्रहिताओं– श्री दीपचन्द व श्री नानूराम ने हस्तगत द्वितीय अपील के स्तर पर इस आशय के शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं कि स्व. केला द्वारा उनके सामने कोई वसीयत उदयराम के पक्ष में नहीं की थी और किसी वसीयत पर उनके हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त उदयराम द्वारा कोई झूठी वसीयत तैयार करा रखी है जिस पर उनके नाम से गलत साक्षी लिखी हुई है।

(4) कि अपीलार्थीगण मृतक मूल खातेदार केला के विधिक एवं प्राकृतिक वारीसान है, जबकि वादी उदयराम मूल खातेदार केला का न तो गोद पुत्र है और न ही कोई रिश्तेदार। वह केवल कूटरचित वासीयतनामे के आधार पर अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि को हथियाना चाहता है। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण अनपढ महिलाये है जिसका वह फायदा उठाना चाहता है।

(5) यह भी तर्क विद्वान अभिभाषक का है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में मात्र यह निष्कर्ष अंकित किया है कि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के केवल तीन अवसर तथा प्रतिवादी को शहादत प्रस्तुत करने के 7 अवसर दिये गये है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह अभिमत विधिसम्मत नहीं हैं, क्योंकि अतिरिक्त साक्ष्य को केवल आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार ही ग्रहण किया जा सकता है।

8— अपीलार्थी पक्ष की तरफ से ही विद्वान अभिभाषक श्री अशोकनाथ का अभिकथन है किः—

(1) प्रथम अपील के दौरान वादी/ अपीलार्थी/ वर्तमान प्रत्यर्थी उदयराम द्वारा दिनांक 16—10—2008 को एक प्रार्थनापत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके कथित क्रेता सतीश को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 07—11—2008 को अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 22 नियम 10 के उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गयी थी, किन्तु दिनांक 17—11—2008 को मूल अपील का निर्णय ही, उक्त आदेश 22 नियम 10 के प्रार्थनापत्र का निर्णय किये बिना कर दिया गया। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय गंभीर विधिक त्रुटि से ग्रसित है।

(2) कि आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपील स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य का प्रार्थनापत्र स्वीकार होने की स्थिति में उक्त आदेश 41 के नियम 28 के अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, किन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नियम 28 के अनुसार कार्यवाही नहीं करके अपीलाधीन डिक्री को ही निरस्त करके प्रकरण को वापिस विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय का यह निर्णय क्षेत्राधिकार का सही प्रकार से उपयोग नहीं करने की विधिक त्रुटि से ग्रसित होने से निरस्तनीय है। अपने इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त— 2011 (2) DNJ (RAJ) 540, 2010 (2) RRT 846 और 1994 RLW (1) 285 प्रस्तुत किये हैं।

उपरोक्त तर्कों के साथ दोनों ही विद्वान अभिभाषकगण द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 17—11—2008 निरस्त किया जावे।

9— प्रत्यर्थी पक्ष की तरफ से अपीलार्थी पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक श्री प्रदीप बिश्नोई का अभिकथन है किः—

(1) मूल खातेदार केला द्वारा वादी के पक्ष में अपने जीवनकाल में वसीयतनामा तस्दीक किया गया है और वादी मृतक केला का गोदपुत्र होने से विवादित आराजी पर काबिज—काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी को वसीयतनामे को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और साक्ष्य बन्द कर दी गई, जबकि प्रतिवादीगण को पूर्ण अवसर दिये जाकर साक्ष्य लेने की कार्यवाहीं किये जाने में परीक्षण न्यायालय द्वारा पक्षपातपूर्ण

रवैया अपनाया जाकर निर्णय पारित किया गया है। वादी को विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान न करने के आधार पर ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है।

(2) कि वसीयतनामे के सत्यापन गवाहान से जिरह किया जाना जरूरी है और इस कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

(3) अन्त में विद्वान श्री बिश्नोई का कथन है कि अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

10— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख व निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में प्रकरण का परीक्षण किया गया।

11— अपीलार्थी पक्ष द्वारा बहस के दौरान उठायी गयी यह आपत्ति सही नहीं है कि आदेश 22 नियम 10 के प्रार्थनापत्र का निर्णय किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय कर दिया गया है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 16—10—2008 को इस प्रकार निर्णीत किया गया है कि क्रेता सतीशचन्द पिता हजारीलाल के पक्ष में भूमि का हस्तान्तरण दौराने दावा होने से क्रेता विक्रेता के फुटस्टेप में ही स्थान पा सकता है, जिससे उसे पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय के साथ ही उक्त आदेश 22 नियम 10 के प्रार्थनापत्र को भी निस्तारित कर दिया है। अतः यह आपत्ति सही नहीं है कि प्रार्थनापत्र को निर्णीत किये बिना ही अपील को निर्णीत कर दिया गया।

12— अपील ज्ञापन में लिये गये आधारों व दौराने बहस दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हस्तगत अपील में विनिश्चियनार्थ सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि **क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम**

27 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत श्री दीपचन्द और श्री नानूराम के शपथपत्र उक्त आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानानुसार ग्रहण योग्य अतिरिक्त साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं? इस बिन्दु के विनिश्चयन हेतु उक्त नियम 27 का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार है:–

Order 41 Rule 27 of the Civil Procedure Code, 1908:

"27. Production of additional evidence in Appellate Court:

(1) The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, in the Appellate Court, But if—

(a) the Court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or

(aa) the party seeking to produce additional evidence, establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after the exercise of due diligence, be produced by him at the time when the decree appealed against was passed, or

(b) the Appellate Court requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment, or for any other substantial cause,

the Appellate Court may allow such evidence or document to be produced, or witness to be examined.

(2) Wherever additional evidence is allowed to be produced by an Appellate Court, the Court shall record the reason for its admission."

इस प्रकार उक्त नियम 27 के प्रावधानानुसार अपील स्तर पर अपीलीय न्यायालय केवल निम्नांकित 3 परिस्थितियों में ही अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य अथवा परीक्षण हेतु अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य की अनुमति प्रदान कर सकता है, जबकि–

(1) अपीलाधीन आदेश पारित करने वाले न्यायालय ने उक्त साक्ष्य को अअनुमत्त (disallowed) कर दिया हो, अथवा

(2) ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के इच्छुक पक्षकार द्वारा यह साबित कर दिया जावे कि वह अपनी समुचित सजगता (*due diligence)* एवं प्रयासों के बावजूद उक्त साक्ष्य को नीचे की अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सका था, अथवा

(3) प्रकरण का निर्णय करने के लिये सक्षमता प्रदान करने हेतु स्वयं अपीलीय न्यायालय किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता महसूस करें।

13— हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थनापत्र में प्रार्थी/ वर्तमान प्रत्यर्थी उदयराम ने ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्षीगण दीपचन्द और नानूराम के शपथपत्रों को ग्रहण करने व उनके प्रतिपरीक्षण की अनुमति से इन्कार कर दिया हो, अथवा यह कि विचारण न्यायालय में वह अपनी समुचित सजगता (*due diligence)* व प्रयासों के बावजूद उक्त दोनों शपथकर्ताओं को बतौर साक्षी क्यों प्रस्तुत नहीं कर सका था। वादी/प्रत्यर्थी उदयराम के वाद का मुख्य आधार कथित वसीयत दिनांक 19—02—2003 है, जिसे प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में अस्वीकार करते हुये कूटरचित बताया था। जब प्रतिवादीगण द्वारा वसीयत के अस्तित्व को अस्वीकार करके उसे कूटरचित बताया जावे तो ऐसी वसीयत के लाभार्थी के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के प्रावधानानुसार वसीयत के लेखक व सत्यापन साक्षीगण को बतौर गवाह न्यायालय में प्रस्तुत करके कथित वसीयत को संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त (free from suspicious circumstances) साबित कर उसकी सत्यता (genuineness) को स्थापित करे। किन्तु विचारण न्यायालय में वादी द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। दिनांक 15—05—2006 को विवाद्यक विरचना के बाद प्रकरण दिनांक 14—03—2007 तक साक्ष्य वादी में चला है और इस दौरान अनेक अवसर देने तथा दिनांक 13—03—2007 को कॉस्ट पर अवसर देने के बाद केवल वादी उदयराम के बयान दिनांक 14—03—2007 को कराये गये तथा दिनांक 14—03—2007 को विचारण न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य इस आधार पर बन्द की गयी थी कि **''वकील वादी अब कोई सहादत पेश नहीं करना चाहते हैं।** उसके बाद दिनांक 25—02—2008 तक प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में चला और दिनांक 17—03—2008 को बहस सुनी जाकर दिनांक 31—03—2008 को निर्णय पारित किया गया। प्रत्यर्थी उदयराम यह साबित करने में असफल रहा है कि इस लगभग एक साल की अवधि में उसने अपनी बन्द साक्ष्य को खुलवाने के लिये क्या प्रयास किया गया। वादी का दावा साबित करने के लिये वसीयत का लेखक व सत्यापन साक्षीगण महत्वपूर्ण गवाह थे और उन्हें विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने का वादी ने कोई प्रयास नहीं किया। सिविल प्रक्रिया सम्बन्धी विधि में ऐसे अनेक उदार प्रावधान हैं, जिनका उपयोग न्यायहित में करते हुये ऐसे पक्षकार को राहत प्रदान की जाती है जो अपना वाद अथवा प्रतिरक्षण साबित करने हेतु सदभाविक रुप से सतत प्रयासरत रहा हो। किन्तु जब कोई पक्षकार केवल अपनी स्वयं की लापरवाही के कारण अपना दावा अथवा प्रतिरक्षण साबित करने में असफल रहा हो तो ऐसे उदार प्रावधानों का लाभ उसे नहीं दिया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में वादी उदयराम

द्वारा कथित वसीयत को साबित करने हेतु विचारण न्यायालय में कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में आदेश 41 के नियम 27 के उपखण्ड (ख) के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वतः ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय को सक्षमता प्रदान करने हेतु अमुक अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत की जावे। सम्पूर्ण विवेचन का सारांश यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं था।

14— विद्वान अभिभाषक श्री अशोकनाथ द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 28 के प्रावधानों तथा 2011 (2) DNJ (RAJ) 540, 2010 (2) RRT 846 और 1994 RLW (1) 285 के न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में यह भी तर्क किया गया है कि आदेश 41 के नियम 27 के प्रार्थनापत्र के आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देने पर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। उक्त आदेश के नियम 28 में स्पष्ट प्रावधान हैं कि जब अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो अपीलीय न्यायालय स्वयं ऐसी साक्ष्य ले सकता है अथवा अपीलाधीन आदेश पारित करने वाली न्यायालय को या अन्य किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दे सकती है कि उक्त साक्ष्य लेकर अपीलीय न्यायालय को भेजें। अर्थात अतिरिक्त साक्ष्य के बिन्दु पर प्रकरण को नीचे प्रतिप्रेषित करने का अधिकार अपीलीय न्यायालय को नहीं है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में यही प्रतिपादित किया गया है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा पहले ही यह निष्कर्षांकन किया जा चुका है कि वादी उदयराम द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में दो शपथपत्रों के साथ प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थनापत्र ही स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, अतः अब आदेश 41 के नियम 28 की रोशनी में प्रकरण का परीक्षण किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

15— जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, वादी उदयराम का दावा मूल खातेदार स्व. केला द्वारा उसे गोद लेने और स्व. केला द्वारा वादी के पक्ष में कथित वसीयत करने के अभिकथनों पर आधारित था, जबकि प्रतिवादीगण ने उक्त दोनों ही तथ्यों को अपने जवाबदावे में नकारा है। वादी को अपना दावा सिद्ध करने के लिये वसीयत व गोद का बिन्दु सिद्ध करनी था। जब प्रतिवादी पक्ष द्वारा वसीयत के तथ्य को नकराते हुये उसे कूटरचित बताया गया है तो वसीयत के लाभ प्राप्त कर्ता वादी पर यह भार था कि वह वसीयत के सत्यापन साक्षियों व वसीयत के लेखक

को न्यायालय में बतौर गवाह प्रस्तुत कर उनका परीक्षण कराता और यह सिद्ध करता कि वसीयत दिनांक 19–02–2003 सही (genuine) और संदेहास्पद परिस्थितियों से मुक्त (free from suspicious circumstances) है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बार बार यह प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत द्वारा जब प्राकृतिक वारिसान को विरासत से वंचित करके किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दूर के रिश्तेदार को वसीयती वारिस बनाया जाता है और ऐसी वसीयत को प्राकृतिक वारिसान द्वारा कूटरचित बता कर चुनौती दी जाती है तो वसीयत के लाभार्थी (propounder) पर उक्त वसीयत को सत्य एवं संदेह से परे साबित करने का भार होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण AIR 1990 SC 1742 का सारांश निम्न प्रकार हैः–

> *"Succession Act of 1925- Section 63- Will- Proof- Testator, father disinherited one daughter- Her happy marriage or financially well- settledness could not add to genuineness of Will, especially when no finding on dire circumstances of other daughter was recorded by any Courts."*

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2007 (2) CC Cases 141 में यह प्रतिपादित किया गया है कि–

> *"Burden of proof is on the propounder of the Will to remove any suspicious circumstances."*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त– 2010 (3) CC cases 043 का भी यही सारांश है कि–

> *"When a Will is surrounded by suspicious circumstances, the person propounding the Will has a very heavy burden to discharge."*

16– हस्तगत प्रकरण में वसीयत द्वारा पत्नी व पुत्रियों को विरासत से वंचित किया गया है और ऐसे वंचित प्राकृति वारिसान ने वसीयत को कूटरचित बता कर अस्वीकार किया है। अतः उक्त वसीयत स्वतः ही संदेह के घेरे में आ जाती है और लाभार्थी उदयराम/ वादी पर यह सिद्धिभार था कि उसे संदेह से परे (free from suspicious circumstances) साबित करता, किन्तु उसने विचारण न्यायालय में वसीयत के लेखक को अथवा सत्यापन साक्षियों को प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार वादी द्वारा गोद के तथ्य को भी सिद्ध करने हेतु विचारण न्यायालय में कोई स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। गोद रस्म को सिद्ध करने के लिये आवश्यक है कि गोद लेने व देने वाले की सहमति और लेने व देने की रस्म का सम्पन्न होना सिद्ध किया जावे। किन्तु वादी द्वारा इस तथ्य

को भी साबित नहीं किया गया है। सम्पूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजात की विवेचना के बाद विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष सही था कि वादी स्व. केला का गोदपुत्र होने तथा वसीयत को साबित करने में विफल रहा है। वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं है और खातेदारी के अभाव में वह प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है। जबकि प्रतिवादीगण मूल खातेदार स्व. केला के प्राकृतिक वारिसान व वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं और वादी का उक्त भूमि में कोई हक नहीं बनता है किन्तु वह प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है।

17— वादी/ प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील में और इस न्यायालय में हस्तगत द्वितीय अपील में यह तर्क दिया गया है कि उसे विचारण न्यायालय में साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं मिला। किन्तु इस बिन्दु पर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षांकन किया जा चुका है कि दिनांक 15—05—2006 को विवाद्यक विरचना के बाद प्रकरण दिनांक 14—03—2007 तक साक्ष्य वादी में चला है और इस दौरान अनेक अवसर देने तथा दिनांक 13—03—2007 को कॉस्ट पर अवसर देने के बाद केवल वादी उदयराम के बयान दिनांक 14—03—2007 को कराये गये तथा दिनांक 14—03—2007 को विचारण न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य इस आधार पर बन्द की गयी थी कि **''वकील वादी अब कोई सहादत पेश नहीं करना चाहते हैं।** उसके बाद दिनांक 25—02—2008 तक प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में चला और दिनांक 17—03—2008 को बहस सुनी जाकर दिनांक 31—03—2008 को निर्णय पारित किया गया। प्रत्यर्थी उदयराम यह साबित करने में असफल रहा है कि इस लगभग एक साल की अवधि में उसने अपनी बन्द साक्ष्य को खुलवाने के लिये क्या प्रयास किया गया। अतः वादी/प्रत्यर्थी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसे विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला। खुलवाने के लिये क्या प्रयास किया गया।

18— उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी/ प्रत्यर्थी का दावा खारिज करने में और प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण का प्रतिदावा डिक्री करने में ऐसी कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है, जिसके आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाता। किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करके प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है, जो एक विधि—विरुद्ध एवं निराधार आदेश है। ऐसे आदेश का समर्थन नहीं

किया जा सकता है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और प्रथम अपीली न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 17–11–2008 निरस्तनीय है।

19– परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील को एतदद्वारा स्वीकार किया जाता है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ द्वारा अपील संख्या 72/2008 में पारित निर्णय दिनांक 17–11–2008 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एल0 डी0 यादव)
सदस्य

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य